भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294770 फैक्स / Fax : 28291385,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

निविदा आमंत्रण सूचना

विषयः- सीप्ज़-सेज़ में सुरक्षा उपकरणों के लिए वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) ।

राष्ट्रपति की ओर से विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, स्वायत्तशासी निकाय द्वारा इच्छुक एजेन्सियों से वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपकरणों के लिए एएमसी हेतु मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं ।

क्रम संख्या	**विवरण**	**मदों की संख्या**
1	फ्रेम मेटल डोर डिटेक्टर	09
2	हैंड मेटल डोर डिटेक्टर	10

I. निविदा प्रस्तुत करने की क्रियाविधि के संबंध में:

1. निविदाएं दो बोली प्रणाली में प्रस्तुत की जाएं अर्थात

लिफाफा 1 के ऊपर "तकनीकी बोली" लिखा गया हो जिसमें अनुबंध-क में यथाउल्लिखित तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ रखे जाएं ।

लिफाफा 2 जिस पर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो जिसमें अनुबंध-ख में यथाउल्लिखित बोली मूल्य रखा जाए ।

L'25

2. ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएं जिस पर लिखा हो, **"सीप्ज़-सेज़ में सुरक्षा उपकरणों** (फ्रेम मेटल डोर डिटेक्टर तथा हैंड मेटल डोर डिटेक्टर) **के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा का कोटेशन"** तथा यह सहायक विकास आयुक्त, विकास आयुक्त का कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 को संबोधित किया जाए ।

3. उपर्युक्त मुहरबंद लिफाफा सहायक विकास आयुक्त (प्रशासन), सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई को **<u>दिनांक 26.03.2020 के अपराह्न 02.30</u>** बजे तक व्यक्तिगत रूप से/डाक/कूरियर द्वारा प्रस्तुत किए जाएं । उपर्युक्त निर्धारित तारीख तथा समय के बाद कोई लिफाफा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4. निविदा दिनांक **27.03.2020 को सायं 04.00** बजे सहभागी एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के सामने खोली जाएगी ।

5. निविदा जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे, मुहरबंद नहीं होंगे तथा जिनके ऊपर लिखा नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं ।
6. निविदा पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा जो मुद्रित फॉर्म में पूर्ण हों ।
7. सभी संशोधनों, परिवर्धनों तथा चिपकाई गई पर्चियों पर निविदादाता/बोलीदाता द्वारा आद्याक्षर (इनिशियल्स) किए जाएं ।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

II. <u>निबंधन एवं शर्तें</u>

1. सफल बोलीदाताओं को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में संविदा मूल्य का 10% जमा करना होगा ।
2. यदि सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा शिकायत प्राप्त की जाती है तथा शिकायत के संबंध में उसी दिन कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में 1000/- रू. प्रतिदिन की दर से अर्थदंड लागू होगा ।
3. इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे जीएसटी सहित प्रभार्य कीमत का उल्लेख करते हुए कोटेशन प्रस्तुत करें ।
4. अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी कोटेशन अथवा सभी कोटेशनों स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है ।
5. बोलीदाता प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/कर्ताओं के प्राधिकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें (व्यक्ति/कंपनी/भागीदारी एजेन्सी के संघ के मामले में लागू) ।
6. एजेन्सी द्वारा निविदा के प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में इस पर प्रत्येक भागीदार द्वारा अवश्य अलग-अलग हस्ताक्षर किए जाएं अथवा किसी भागीदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में इस पर उसकी ओर से मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा जिसको ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, निविदा पर हस्ताक्षर करेगा ।
7. समिति यदि चाहे, तो बोलीदाता की पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित किसी अथवा अन्य शर्तों में बिना कोई कारण बताए छूट दे सकती है/संशोधन कर सकती है । बोली प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इस संबंध में कोई पूछताछ स्वीकार्य नहीं होगा ।
8. **कोटेशन वापस लिए जाने की स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी ।**

III. **भुगतान अनुसूची**

1. सुरक्षा अनुभाग से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात तिमाही के आधार पर भुगतान किया जाएगा ।

(राजू कुमार)
सहायक विकास आयुक्त

सं.सीप्ज़-सेज़/इस्टेट/एमडी/4/2018-19/04642 दिनांक: 05.03.2020

अनुलग्नकः-

1. अनुबंध-"क" में पूर्व अर्हता/तकनीकी बोली का फॉर्मेट
2. अनुबंध-"ख" में कोटेशन का फॉर्मेट

<u>अनुबंध-"क"</u>

(I) मुख्य विवरणः-

1. एजेन्सी का नामः-

2. कार्यालय का पताः-

3. टेलीफोन नं./मोबाइल नं.:-

4. फैक्स नं.:-

5. ई-मेल का पताः-

(II) <u>पूर्व अर्हता विवरणः</u>

1. "सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि" के पक्ष में आहरित मुंबई में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में 20,000/- रू. की बयाना जमा राशि ।
2. जीएसटी के पंजीकरण तथा पैन की प्रति ।
3. संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पिछले 05 वर्षों के कार्यादेशों की प्रतिलिपियां ।
4. पिछले 03 वर्षों के दौरान एजेन्सी का टर्नओवर प्रतिवर्ष 25 लाख से कम न हो ।
5. कम से कम 10 ग्राहकों की सूची जिसमें केंद्र सरकार/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र सरकारी के स्वायत्तशासी निकाय/महाराष्ट्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्र/बैंक/प्रतिष्ठित निजी फर्म तथा सरकारी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रम शामिल हों ।
6. एजेन्सी मुंबई अथवा बृहनमुंबई जिला में स्थित हो । बोलीदाता को इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य जैसे निगमन प्रमाणपत्र/व्यापार प्रारंभ प्रमाणपत्र/दुकान तथा प्रतिष्ठान लाइसेन्स/स्थान प्राप्त करने से संबंधित करार, बिजली बिल अथवा टेलीफोन बिल ।
7. एजेन्सी के जिम्मेदार प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम ।
8. **निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए विधिवत नोटरीकृत 100/- रू. का शपथ-पत्र:-**

   8.1 मैंने/हमने निविदा सूचना के निबंधन एवं शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है तथा इसको बिना किसी विचलन के मैं/हम स्वीकार करता हूं/करते हैं तथा उन्हें पूरी तरह से पालन करूंगा/करेंगे ।

   8.2 मेसर्स________को किसी सरकार/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी कार्यालय द्वारा पहले काली सूची में नहीं डाला गया है ।

8.3 निविदा प्रस्तुत किए जाने तक न तो मेरा/हमारा तथा मेसर्स_______के किसी कर्मचारी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है और न ही किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया है । आगे मैं/हम यह आश्वासन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम अपनी/हमारी एजेन्सी से ऐसा प्रतिनिधि नियोजित करूंगा/करेंगे जिसका निविदा (तकनीकी+वित्तयी बोली) खोले जाने की तारीख तक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होगी ।

8.4 मैं/हम सेवाओं के निष्पादन अथवा सेवा के निष्पादन का कार्य न तो किसी को सौंपेंगे, ना ही अंतरित करेंगे, ना ही गिरवी रखेंगे और ना ही उप ठेके पर देंगे तथा मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि निविदा दस्तावेज के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे ।

अनुबंध-"ख"

"कोटेशन का फॉर्मेट"

क्र.सं.	विवरण	मदों की संख्या	कोटेशन (रूपयों में) (शब्दों तथा अंकों में)
1	फ्रेम मेटल डोर डिटेक्टर	09	
2	हैंड मेटल डोर डिटेक्टर	10	

**** कोट की गई फीस में करों को छोड़कर अन्य सभी खर्चे शामिल किए जाएं, क्योंकि, सेज़ अधिनियम, 2005 के अध्याय 2 तथा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05 जुलाई, 2017 की परवर्ती अधिसूचना संख्या 18/2017 के अधीन सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को सभी प्रकार के करों के भुगतान से छूटप्राप्त है ।**

लागत सार

"सीप्ज़-सेज़ में सुरक्षा उपकरणों के लिए वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी)"______________________________रू. मात्र ।

मैं/हम अपने/हमारे द्वारा ऊपर कोट किए गए सभी दरों के अनुसार उपर्युक्त मदों की पूर्ति के लिए सहमत है । निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य हैं ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
एजेन्सी की सील के साथ